कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास परियोजनाएं, जयपुर।
(जयपुर विकास प्राधिकरण भवन, जयपुर)

....

क्रमांक भूअवि/नवि/91/

दिनांक :- 12.6.91

विषय:- जयपुर विकास प्राधिकरण की अपने कार्यों के निर्माण व विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम लालरपुरा में भूमि अवाप्ति बाबत (पृथ्वी राज नगर योजना)

मुकदमा नम्बर:-

1. 394/88
2. 399/88
3. 414/88
4. 396/88
5. 397/88
6. 398/88

अ वा र्ड

उपरोक्त विषयान्तर्गत भूमि की अवाप्ति हेतु राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1) की धारा 4(1) के तहत क्रमांक प.6(15)11/87 दिनांक 6.1.88 तथा गजट प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में 7.7.88 को कराया गया। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा 5 अ की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने के उपरांत राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 6 की गजट प्रकाशन क्रमांक प.6(15)नविआ/23/87 दिनांक 28.7.89 का प्रकाशन राजस्थान राज्य पत्र जुलाई 31.1989 को किया गया।

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जो धारा 6 का गजट प्रकाशन कराया गया उसमें लालरपुरा तहसील जयपुर में अवाप्तिधीन भूमि की स्थिति निम्न प्रकार बताई गयी।

क्र.सं.	मु.नं.	खातेदार/हिस्सेदार का नाम	ख.नं.	अवाप्तिधीन रकबा बी.-बिस्वा.
1.	394/88	भूलाराम, नारायण पि. गोविन्दा 1/2		
		रामकरण धोवरा बालू पि. भूरा 1/4	135	3-05
	399/88	नाथू पु. रामलाल, रामचन्द्र, छोगा, भूरा,	152	4-00
	414/88	कल्याण पि. नानो. हि. 1/4	153	3-08
			166 / 167	3-00
			182	9-14
			186	15-06
			189	22-01
		हेमाराम, कन्हैया, पि. शंकर व सुन्दरी (बेवा शंकर जाट)	157	5-18
2.	396/88	भूरा पु. गोपी जा. बैर.	190	10-06
	397/88	नाथू, राधू, रामचन्द्र, छोगा, भूरा, कल्याण पिसरान नानो. जाट सा.-देह.	149	1-15
			190/225	4-07
			150	15-12
3.	398/88	हरनाथ पु. मांगू 1/4 रामदेवा पु. हरदेवा 1/4 नन्दा पु. बिरधा 1/2 जा. जाट सा. देह.		

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएं,
जयपुर

क्रमशः 2

220

अतः इनके विरूद्ध विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

क्र.सं.3 मुकदमा नं. 398/88 खसरा नं. 187, 188, 191, 151:

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं. 151 इरसनाथ पुत्र मांगू 1/4 रामदेव,पुत्र हरदेव 1/4,चन्द्रा पुत्र बिरधा 1/2 भाग ,खसरा नं. 187 गुना,नाथू,राधू, रामचन्द्र ,बालू पि. गोपी 2/3,धन्ना पुत्र गोपी 1/3 भाग ,खसरा नं. 188 नाथ्या, मोहन,सोहन,मांगू पि.प्रताप 1/4,रामदेव पुत्र हरदेवा 1/4,चन्द्रा पुत्र बिरधा 1/2 भाग के नाम दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 17-5-91 को जारी किये गये जिसे तामिल कुनिन्दा द्वारा सरपंच धन्नाराम (पर का सदस्य) को देकर तामिल कराया गया । तथा दिनांक 17-5-91 को ही नोटिस रजिस्टर्ड डाकद्वारा भेजे गये । इसके बावजूद खातेदारान/हितदारान अनुपस्थित रहे । इसके उपरांत 28-5-91 के दैनिक नवज्योति वन्देमातरम टाईम्स समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया गया । इसके बावजूद भी खातेदारान/हितदारान एवं आपत्तिकर्ता मुखबर कृ.नि.स.समिति के सदस्य अनुपस्थित रहे । अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायीगई ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत उपरोक्त मुकदमात के सार्वजनिक नोटिस भी दिनांक 3-5-91 को दिये गये जो तामिल कुनिन्दा द्वारा 7-5-91 को सम्बन्धित तहसीलदार,पंचायत समिति नोटिस बोर्ड व ग्राम पंचायत व सरपंच को दिये व चस्पा किये गये ।

मुआवजा निर्धारण :-

जहाँ तक पृथ्वीराज नगर योजना में मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक प.6(15) नविआ/87 दिनांक 1-1-89 द्वारा मुआवजा निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन शासन सचिव राजस्व विभाग की अध्यक्षता में किया गया था । लेकिन उक्त कमेटी द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में से किसी भी ग्राम के मुआवजा की राशि का निर्धारण नहीं किया । इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3888-89 333-335 द्वारा शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग तथा जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त महोदय, एवं सचिव जविप्रा. को निवेदन भी किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी से मुआवजा निर्धारण करने की प्रक्रिया शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाय । इसके उपरान्त समय-समय पर आयोजित मिटिंग में भी मुआवजा निर्धारण के लिए निवेदन किया गया लेकिन कमेटी द्वारा कोई मुआवजा निर्धारण अभी तक नहीं किया है ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनायें
जयपुर

इसी प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में स्थित भूमि के किसी भी खातेदार को बुलाकर नेगोशियेशन नहीं किया गया ।

विभिन्न माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जो निर्णय कृषि भूमि के मुआवजा निर्धारण के बारे में प्रतिपादित किये है उनमें कृषि भूमि के मुआवजे के निर्धारण का तरीका धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय रजिस्ट्रीयों द्वारा उक्त क्षेत्र में प्रचलित दर के अनुसार निर्धारण माना गया है । पृथ्वीराजनगर योजना में धारा 4 का गजट नोटिफिकेशन दि. 7-7-88 को हुआ था इसलिए विभिन्न राज्य के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय परिपेक्ष में 87-1988 विभिन्न उप पंजीयकों के यहाँ पृथ्वीराज नगर योजना के क्षेत्र में भूमियों की रजिस्ट्रेशन की क्या दर थी उस पर विचार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहता है ।

जहाँ तक उपरोक्त खसरा नं. के खातेदारान/हितदारान को मुआवजा

क्रमशः..12..

निर्धारण का प्रश्न है उपरोक्त सभी मामलों में एक तरफा कार्यवाही होने के कारण एवं खातेदारान/हितदारान द्वारा कोई क्लेम पेश नहीं करने के कारण खातेदारान/हितदारान की ओर से मुआवजे की राशि की मांग का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

लेकिन नेचुरल जस्टिस के सिद्धान्त के अनुसार इस सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण जिसके लिए भूमि अवाप्ति की जा रही है का भी पक्ष ज्ञात किया गया । जयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव ने पत्र क्रमांक टी.डी. आर/91/336 दिनांक 3-6-91 द्वारा इस सम्बन्ध में सूचित किया गया कि धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय ग्राम लालरपुरा में 14,500/-रुपये प्रति बीघा के अनुसार भूमियों का पंजीयन हुआ था । इसलिए जहां तक उनके पक्ष का सम्बन्ध है वह दर उचित है ।

हमने इस सम्बन्ध में उप पंजीयक एवं तहसीलदार जयपुर के यहां से अपने स्तर पर भी जानकारी प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि धारा-4 के नोटिफिकेशन के समय भूमि की दर इससे अधिक नहीं थी । तहसीलदार जयपुर विकास प्राधिकरण (प्रथम) ने भी अपने पृ०सं० नोट दिनांक 8-5-91 द्वारा तहसील जयपुर में धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय जमीन की विक्रय रेट यही बताई है ।

लेकिन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में भी इसी क्षेत्र के आस-पास की भूमि की मुआवजा राशि 24000/- रुपये प्रति बीघा की दर से अवार्ड जारी किये गये एवं जिसका अनुमोदन राज्य सरकार से भी प्राप्त हो चुका है । जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक श्री के०पी० मिश्रा ने कोई लिखित में उत्तर नहीं देकर मौखिक रूप से यह निवेदन किया है कि यदि मुआवजा राशि 24000/- रुपये प्रति बीघा की दर से तय की जाती है तो जयपुर विकास प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि कुछ समय पूर्व भी इसी न्यायालय द्वारा इस भूमि के आस-पास के क्षेत्र में 24000/- रुपये प्रति बीघा की दर से अवार्ड पारित किये गये है ।

अतः इस मामले में भी हम भूमि की मुआवजा राशि 24000/-रुपये प्रति बीघा की दर से दिया जाना उचित मानते है एवं हम यह भी मानते है कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भी भूमि की कीमत यही थी । जिसका निर्धारण बाद में जरिये से तकनीकी अनुमोदित तखमीने प्राप्त होने पर नियमानुसार निर्धारण किया जावेगा ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत अवार्ड पारित करने के लिए दो वर्ष की समयावधि नियत है । लेकिन खातेदारान/हितदारान को धारा 9 व 10 के नोटिस तामील कुनिन्दा रजि०ए०डी० एवं समाचार पत्र के प्रकाशन के बाद भी उपस्थित नहीं होना व क्लेम पेश नहीं करना इस बात का द्योतक है कि वे अपना कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहते है इसलिए एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

जहां तक पेड पौधे कुए एवं भूमि पर बने अन्य स्ट्रक्चर का प्रश्न है खातेदारान द्वारा कोई तखमीना पेश नहीं किया और ना ही जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित तखमीना पेश किये गये ऐसी स्थिति में स्ट्रक्चर (यदि कोई हो) के मुआवजे का निर्धारण नहीं किया जा रहा है ।

भूमि ... अधिकारी
... विक... ...एं,
जयपुर

निर्धारण का प्रश्न है उपरोक्त सभी मामलों में एक तरफा कार्यवाही होने के कारण एवं खातेदारान/हितदारान द्वारा कोई क्लेम पेश नहीं करने के कारण खातेदारान/हितदारान की ओर से मुआवजे की राशि की मांग का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

लेकिन नेचुरल जस्टिस के सिद्धान्त के अनुसार इस सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण जिसके लिए भूमि अवाप्ति की जा रही है का भी पक्ष ज्ञात किया गया । जयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव ने पत्र क्रमांक टी॰डी॰आर/91/336 दिनांक 3-6-91 द्वारा इस सम्बन्ध में सूचित किया गया कि धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय ग्राम लालरपुरा में 14,500/-रुपये प्रति बीघा के अनुसार भूमियों का पंजीयन हुआ था । इसलिए जहाँ तक उनके पक्ष का सम्बन्ध है यह दर उचित है ।

हमने इस सम्बन्ध में उप पंजीयक एवं तहसीलदार जयपुर के यहाँ से अपने स्तर पर भी जानकारी प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि धारा-4 के नोटिफिकेशन केसमय भूमि की दर इससे अधिक नहीं थी । तहसीलदार जयपुर विकास प्राधिकरण [प्रथम] ने भी अपने यू0ओ0 नोट दिनांक 8-5-91 द्वारा तहसील जयपुर मेंधारा 4 के नोटिफिकेशन के समय जमीन की विक्रय रेट यही बताई है ।

लेकिन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में भी इसी क्षेत्र के आस-पास की भूमि की मुआवजा राशि 24000/- रुपये प्रति बीघा की दर से अवार्ड जारी किये गये एवं जिसका अनुमोदन राज्य सरकार से भी प्राप्त हो चुका है । जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक श्री के0पी0 मिश्रा ने कोई लिखित में उत्तर नहीं देकर मौखिक रुप से यह निवेदन किया है कि यदि मुआवजा राशि 24000/- रुपये प्रति बीघा की दर से तय की जाती है तो जयपुर विकास प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि कुछ समय पूर्व भी इसी न्यायालय द्वारा इस भूमि के आस-पास के क्षेत्र में 24000/- रुपये प्रति बीघा की दर से अवार्ड पारित किये गये है ।

अत: इस मामले में भी हम भूमि की मुआवजा राशि 24000/-रुपये प्रति बीघा की दर से दिया जाना उचित मानते है एवं हम यह भी मानते है कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भी भूमि की कीमत यही थी । जिसका निर्धारण बाद में जविप्रा से तकनीकी अनुमोदित तखमीने प्राप्त होने पर नियमानुसार निर्धारण किया जावेगा ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत अवार्ड पारित करने के लिए दो वर्ष की समयावधि नियत है । लेकिन खातेदारान/हितदारान को धारा 9 व 10 के नोटिस तामील कुनिन्दा रजि0ए॰डी॰ एवंस माचार पत्र के प्रकाशन के बाद भी उपस्थित नहीं होना व क्लेम पेश नहीं करना इस बात का द्योतक है कि वे अपना कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहते है इसलिए एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

जहां तक पेड पौधों कुए एवं भूमि पर बने अन्य तरह्कार का प्रश्न है खातेदारान द्वारा कोई तखमीना पेश नहीं किया और ना ही जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तकनीकी रुप से अनुमोदित तखमीना पेश किये गये ऐसी स्थिति में तरह्कार [यदि कोई हो] के मुआवजे का निर्धारण नहीं किया जा रहा है ।

भूमि ... अधिकारी
जयपुर विकास ...
जयपुर

हम इस भूमि के मुआवजे का निर्धारण तो 24000/- रुपये प्रति बीघा की दर से करते है लेकिन मुआवजे का भुगतान विधिक रूप से मालिकाना हक संबंधी दस्तावेज पेश करने पर ही किया जावेगा । मुआवजे का निर्धारण परिशिष्ट "ए" के अनुसार जो इस अवार्ड का भाग है के अनुसार किया जा रहा है ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रथम) एवं सक्षम अधिकारी नगर भूमि एवं भवन कर विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 918 दिनांक 31-5-91 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि पृथ्वीराज नगर योजना के समस्त 22 ग्राम जयपुर नगर संकुल सीमा मे सम्मिलित है एवं अलसर अधिनियम की धारा 1976 से प्रभावित है लेकिन उन्होने यह सूचना नहीं दी है कि अलसर अधिनियम की धारा 10(3) की अधिसूचना प्रकाशित करवा दी है अथवा नहीं ऐसी स्थिति मे अवार्ड केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत पारित किये जा रहे है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23(1-ए) एवं 23 (2) के अन्तर्गत मुआवजे की उपरोक्त राशि पर नियमानुसार 30प्रतिशत सोलिशियम एवं 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि भी देय होगी जिसका निर्धारण परिशिष्ट "ए" मे मुआवजे की राशि के साथ दर्शाया गया है ।

माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 4-5-91 मिसलियन्स सिविल स्टे एपलीकेशन नं0 2764/91 (सिविल रिटपिटीसन नं0 3298/91) जयपुर नगर गृह निर्माण सहकारी समिति एसोसियसन बनाम स्टेट आफ राजस्थान मे यह स्थगन आदेश पारित किया था कि भूमि अवाप्ति अधिकारी राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प-6 (15)नविप्रा/पार्ट/85 दिनांक 25-5-91 (एनेक्सर-2) की अनुपालना किये बिना कोई अवार्ड पारित नहीं करेंगे । राज्य सरकार ने अपने आदेश क्रमांक प. 6(15) नविभा/पार्ट/85 के संदर्भ मे रिपोर्ट अवलोकन करने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये है । ऐसी स्थिति मे माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश स्वतः ही समाप्त हो जाता है ।

अतः अवार्ड आज दिनांक 12-6-91 को पारित कर राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाता है ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
(नगर विकास परियोजनाएं, जयपुर)
जयपुर

संलग्न: परिशिष्ट "ए" गणना तालिका.

यह अवार्ड आज दिनांक 20/7/91 को राज्यसरकार के पत्र क्रमांक F6(15)नविभा/87/पार्ट दिनांक 19/7/91 के द्वारा अनुमोदित होकर जारी हो गया है। इस अवार्ड मे खसरा नं0 135, 149, 150, 153, 157, 166, 167, 182, 186, 187, 189, 190/225 की घोषणा पर माननीय उच्च न्यायलय द्वारा स्थगन आदेश होने के कारण आज दिनांक 20/7/91 को उपरोक्त लिखित खसराओ के अवार्ड घोषित नही किया जा रहा है। इस अवार्ड मे खसरा 152, 190, 151, 188, 181 पर माननीय उच्च न्यायलय का स्थगन आदेश घोषणा पर नहीं होने के कारण आज दिनांक 20/7/91

223

को सरे इजलास खसरा नं० 190, 151, 152, 188, 181 का अवार्ड घोषित कर फाइल किया जाता है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास प्रन्यास
जयपुर

दिनांक 16/11/93 यह अवार्ड राज्य सरकार से उक्त दिनांक क्रमांक को अनुमोदन होकर प्राप्त हो गया है। राजकीय अधिवक्ता श्री राजदीप रस्तोगी के पत्र दिनांक 19 अक्टूबर 1993 एवं निदेशक विधि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के यू-ओ-नोट क्रमांक 5445 दिनांक 31/10/93 के तहत स्थगन आदेश का निर्णय राज्य हित में हो गया है। अतः खसरा नं० 135, 149, 150, 153, 157, 166-167, 182, 186, 187, 189, 190/225 का अवार्ड आज सरे इजलास घोषित किया जाकर फाइल किया जाता है। अवार्ड की प्रति सचिव जविप्रा जयपुर को प्रेषित हो एवं धारा 12(2) के नोटिस जारी हो।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण-भवन
जयपुर

क्रम	मुकदमा नं.	खातेदारान/हितदारान का नाम	ख.नं.	रकबा बी. बि.	भूमि की मुआवजे दर	मुआवजे की राशि	सोलेशियम राशि 30%	अति. राशि	कुल राशि मुआवजे की
	394/88	गुल्लाराम, नारायण पि. गोविन्दा	135	03-05					
	399/88	1/2 रामकरण, धापरा, काल पि.	152	04-00					
	414/88	भरा 1/4 नाथ पु. रामलाल,	153	03-08					
		रामचन्द्र सोहनी, सुजा, कल्याण	166, 167	03-00					
		पि. काना 1/2	182	09-14					
			186	15-06					
			189	22-01					
				60-14	24,000/-	14,56,800/-	4,37,040/-	5,12,794/-	24,06,634/-
		कैलाश, सतराज, पि. शंकर. व सुन्दरी बेवा, शंकर जाट,	157	05-18	"	1,41,600-	42,480	49,843	2,33,923
2.	396/88	सुजा पु. गोपी, नाथु, राम, रामचन्द्र	190	10-06					
	397/88	सोहन, सुजा, कल्याण पि. काना, सा. देह. जाट	149	01-15					
			190/225	04-07					
			150	15-12					
				32-00	"	7,68,000	2,30,400	2,70,336	12,68,736
3.	398/88	हरनाथ पु. मांगु 1/4 रामदेवा पु. हरदेवा 1/4 चुन्दा पु. बिरधा 1/2	151	04-04	"	1,00,800	30,240	35,482	1,66,522
		सुजा, नाथु, राम, रामचन्द्र जगदीश, बीर पि. गोपी 2/3 सुजा, पु. गोपी 1/3 सा. देह	187	07-18	"	1,69,200	50,760	59,558	2,79,518
		नाच्छा, मोहन, सोहन, भोले पि. प्रताप 1/4 रामदेवा पु. हरदेवा 1/4	188	02-05	"	54,000	16,200	19,008	89,208
		चन्दा पु. बिरधा 1/2 जाट कालु पु. नारायण जाटसा. धान्यावाला	181	04-00	"	96,000	28,800	33,792	1,58,592

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएँ,
जयपुर

— 8 —

नोट :- 1. सोलेशियम राशि 30 प्रतिशत कालम नम्बर 7 पर गणना की गयी है।

2. अतिरिक्त राशि 12 प्रतिशत की गणना कालम नम्बर 9 पर दिनांक 7.7.88 से [धारा 4 [1]
के गजट नोटिफिकेशन]

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास प्राधिकार, जयपुर ।

267

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास परियोजना
ऽ जयपुर विकास प्राधिकरण भवन ऽ

क्रमांक : भू.अ./नवि/91/26-27 दिनांक : 3/1/92

:: कार्यालय आदेश ::
: शुद्धि पत्र :

जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित पृथ्वीराजनगर योजना में मुकदमा संख्या 396/88 397/88 ग्राम गोलियापुरा खसरा नम्बर 190 का अवार्ड दिनांक 26/7/91 को घोषित किया जाकर फाईल किया गया था । सम्बन्धित योजना सहायक द्वारा पत्रावली एवं अवार्ड के मिलान करने पर कुछ टंकण/लिपिकिय त्रुटिया ज्ञात हुई हैं जिन्हे शुद्ध किया जाना आवश्यक है । इस प्रकार की अशुद्धिया केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 13-ए के अन्तर्गत शुद्ध की जा सकती है । अतः केन्द्रीय अवाप्ति अधिनियम 1894ऽ1984 का अधिनियम संख्या 1ऽ की धारा 13-ए के अन्तर्गत टंकण/लिपिकीय सम्बन्धि त्रुटियो को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता हैं । यह संशोधन पत्र मूल अवार्ड के साथ संलग्न रहेगा ।

संशोधन निम्न प्रकार होगा :-

ऽ1ऽ मुकदमा नं 396/88 व 397/88 के खसरो के रकबो का योग परिशिष्ट 'A' के पृष्ठ A० 6/c पर एक साथ जोड दिया है उसके स्थान पर निम्न प्रकार पढा जावें।

मुकदमा नं	खातेदारान	ख. नं	रकबा बि. बि
396/88	सरजा पुत्र गोपी	190	10-06
		योग	10-06
397/88	नाथू राम रामचंद्र मोहन सरजा कल्याण पि० काना जाट सा देह	149	1-15
		190/225	4-07
		150	15-12
		योग	21-14

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाऐं, जयपुर ।

प्रतिलिपि :
ऽ1ऽ उपविधि परामर्शी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
ऽ2ऽ सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाऐं, जयपुर ।

258

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास परियोजनाएं
(जयपुर विकास प्राधिकरण भवन)

क्रमांक : भू.अ./नवि/91/ 48-49 दिनांक : 3/1/92

:: कार्यालय आदेश ::

: शुद्धि पत्र :

जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित पृथ्वीराजनगर योजना में मुकदमा संख्या 394/88, 399/88, 414/88 ग्राम सोल्कर पुरा खसरा नम्बर 152 का अवार्ड दिनांक 20/7/91 को घोषित किया जाकर फाईल किया गया था। सम्बन्धित योजना सहायक द्वारा पत्रावली एवं अवार्ड के मिलान करने पर कुछ टंकण/लिपिकिय त्रुटिया ज्ञात हुई हैं जिन्हे शुद्ध किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार की अशुद्धिया केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 13-ए के अन्तर्गत शुद्ध की जा सकती है। अतः केन्द्रीय अवाप्ति अधिनियम 1894(1984 का अधिनियम संख्या 1) की धारा 13-ए के अन्तर्गत टंकण/लिपिकीय सम्बन्धि त्रुटियों को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है। यह संशोधन पत्र मूल अवार्ड के साथ संलग्न रहेगा।

संशोधन निम्न प्रकार होगा :-

(1) उक्त मुकदमो के अवार्ड के एनेक्सर 'A' के पृष्ठ सं 6/c पर रामचन्द्र मोहन सूरजा कल्याण पु. काना का हिस्सा 1/2 के स्थान पर हिस्सा 1/4 पढ़ा जावें।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाऐं, जयपुर।

प्रतिलिपि :

(1) उपविधि परामर्शी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

(2) सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाऐं, जयपुर।

259

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास परियोजना

[जयपुर विकास प्राधिकरण भवन]

क्रमांक : भू.अ./नवि/91/ 50-51 दिनांक : 3/1/92

:: कार्यालय आदेश ::

: शुद्धि पत्र :

जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित पृथ्वीराजनगर योजना में मुकदमा संख्या 398/88 ग्राम लालरपुरा खसरा नम्बर 151, 181, 188 का अवार्ड दिनांक 29/7/91 को घोषित किया जाकर फाईल किया गया था । सम्बन्धित योजना सहायक द्वारा पत्रावली एवं अवार्ड के मिलान करने पर कुछ टंकण/लिपिकिय त्रुटिया ज्ञात हुई हैं जिन्हे शुद्ध किया जाना आवश्यक है । इस प्रकार की अशुद्धिया केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 13-ए के अन्तर्गत शुद्ध की जा सकती है । अतः केन्द्रीय अवाप्ति अधिनियम 1894[1984 का अधिनियम संख्या 1] की धारा 13-ए के अन्तर्गत टंकण/लिपिकीय सम्बन्धि त्रुटियो को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता हैं । यह संशोधन पत्र मूल अवार्ड के साथ संलग्न रहेगा ।

संशोधन निम्न प्रकार होगा :-

[1] उक्त मुकदमे के अवार्ड के पृष्ठ सं 4/C पर खसरा नं 151 रकबा 4 बी० 4 बिस्वा सूजा, नाथ (राधू) रामू रामचन्द्र जगदीश बाबू पि० गोपी 1/3 जार सा. डेह 1/3 सूजा पु० गोपी हि० 1/3 जार सा. डेह टंकित हो गया है जो पृष्ठ 1/C पर के आगे चन्दा पु० मांगू 1/4 रामडेका पु० हरडेका 1/4 चन्दा हरनाथ पु० बिरधा 1/2 जी. जार सा डेह के आगे पढ़ा जावें।

(2) उक्त मुकदमे के पृष्ठ नं० 4/C (एनेक्सर 'A') में खसरा 181 रकबा 4 बीघा को नाथ्या मोहन सोहन मोल्या पि. उताप 1/4 रामडेका पु० हरडेका 1/4 चन्दा पु० बिरधा 1/2 जार के स्थान कालू पु० नारायण जार सा० पाट्यावाला के आगे पढ़ा जावें।

प्रस्तुत की गई [illegible]

[illegible] 30/12/91

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाऐं, जयपुर ।

[signature]

प्रतिलिपि :

[1] उपविधि परामर्शी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।

[2] सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाऐं, जयपुर ।

[signature]